



COVID-19
URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28754

दिनांक : 25/03/2020

आदेश

मुख्य सचिव कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर के पत्रांक कार्मिक/क-1/एसपीएल-1/2020 दिनांक 23.03.2020 के क्रम में कोरोना वायरस (COVID-19) की स्थिति से निपटने के लिए बाड़मेर जिले में लगाये गये लॉन डाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर Crisis Management (War Room) गठन अनुसार एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है, जिसमें निम्नांकित अधिकारियों को लगाया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पारी/समय	विवि
1.	1. श्री नाथूसिंह, राजस्व अपील अधिकारी मो-9460977428 2. श्री मानसिंह, निरीक्षक मो-7221961299	प्रथम पारी 06.00 AM - 02.00 PM	श्री नाथूसिंह, RAA जो कि 30.03.2020 तक प्रभारी रहेंगे उनके पश्चात् श्री दीपक, उप वन संरक्षक, बाड़मेर मो-9462882833 रहेंगे
2.	1. श्री सुरेन्द्रसिंह मीणा, सचिव, नगर सुधार न्यास, बाड़मेर मो-9414481278 2. श्री प्रेमप्रकाश, निरीक्षक मो-9414913520	द्वितीय पारी 02.00 PM - 10.00 PM	
3.	1. श्री सुनील, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर मो-8209812197 2. श्री माधोसिंह, उप निरीक्षक मो- 9799472661	तृतीय पारी 10.00 PM - 06.00 AM	

उक्त कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करने हेतु नॉडल अधिकारी श्री मोहनदान रतनू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर (मो-9929536740) एवं श्री खींवसिंह भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर (मो-9414190300/8529461900/8690741960) को नियुक्त किया जाता है।


(अंशदीप)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28755-58

दिनांक : 25/03/2020

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर
3. आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर/बालोतरा
4. संबंधित श्री.....।
5. रक्षित पत्रावली


जिला कलक्टर